राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 385/2011/भरतपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जय माता दी एजेन्सीज, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 28/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय, भरतपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 26/उपा–अपील्स/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत् कर निर्धारण अन्तर्गत धारा 76(6) के लिये पारित आदेश दिनांक 15.01.2008 जिसमें आरोपित शास्ति रूपये 20,802/– को विवादित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किया गया था, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 11.01.2008 को श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, भरतपुर के गोदाम पर बिल्टी संख्या 4359, 4559 व 4569 के माल को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत निरूद्ध किया गया। दिनांक 14.01.2008 को फर्म मैसर्स जय माता दी एजेन्सीज, भरतपुर के मालिक मय अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित हुए एवं माल के बिल प्रस्तुत किए गए। भौतिक सत्यापन पर माल अधिक पाए जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के लिए नोटिस किया गया लेकिन फर्म द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 14.01.2008 को करने के लिए निवेदन किया गया एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसको अमान्य कर शास्ति रूपये 20,802/– आरोपित की गई।

लगातार.....3

3. अपीलीय आदेश में आरोपित शास्ति को अपास्त करने के विरूद्ध राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने लिखित एवं मुख्य कथन किया कि वाहन की जांच पर ड्राईवर द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं बिल दिनांक 31.12.2007 एवं दिनांक 10.01.2008 बाद में प्रस्तुत किये गये थे इस तरह जांच के बाद में जो बिल प्रस्तुत किये गये हैं वे पहले की दिनांक में बनाये गये हैं अतः इस आधार पर अपीलीय आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार की जावे।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. इस प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल की चैकिंग नहीं की गई थी बल्कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी के गोदाम में दिनांक 11.01.2008 को निरीक्षण किया गया था जिसमें उपरोक्त वर्णित तथ्यों में अंकित बिल्टियों के साथ बिल संलग्न नहीं होने से उसके सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर दिये जाने पर बताया गया कि दो कार्टन में 40 वॉट बल्ब रिप्लेसमेंट के थे जो बदलकर नये भेजे गये थे एवं अन्य माल के बिल भी पेश किये परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा इन्हें बाद की सोच माना गया परन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में विक्रेता या क्रेता की लेखा–पुस्तकों या बिल–बुकों की कोई जांच नहीं की गई जिससे कि वे बिल फर्जी या बोगस माने जायें। यह भी सत्य है कि यह माल राज्य के भीतर ही भरतपुर से डीग के लिये भेजा गया था ऐसी स्थिति में दोनों ही फर्में राज्य के भीतर की फर्में थी। यदि करापवंचन का कोई अन्य मामला भी था तो उसकी जांच की जानी चाहिये थी एवं आसानी से की जा सकती थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई कर यह उचित अवधारित किया है कि विक्रेता फर्म ने मय शपथपत्र बिल प्रस्तुत कर दिये थे जिसमें बिल देरी से प्रस्तुत करने का कारण यात्रा पर जाना बताया गया था परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के ही प्रस्तुत बिलों को अमान्य कर शास्ति आरोपित की गयी है, जो उचित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं माल की बिल्टी एवं बिल प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने पर प्रस्तुत कर देने एवं उसमें किसी भी तरह की असत्यता प्रमाणित नहीं होने से सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है अतः विभाग की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

6. फलतः विभागीय अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

28/3/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य